23/1/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बार संघ के कार्य बंद रहने से प्रा. पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर [illegible] विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया जाकर [illegible] हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/158

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:33 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढजिला–श्रीगंगानगर

ध्रुव बनाम फूसाराम आदि

किस्म मुकदमाः–212 आरटीए प्रकरण संख्याः–65/2024

GCMS:- 2024/158

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके चक 7 जी.एम.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 27/33 की 3.795 हैक्टर अ0क0 भूमि में 1/5 हिस्सा व चक 5 जी.एम.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 38/4 की 6.640 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि में 1.107 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या–1, प्रार्थी के दादा के नाम है। जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को उनके पिता रूपाराम से विरास्तन प्राप्त हुआ है। जो कि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से अंकित रकबा में प्रार्थी के पिता, अप्रार्थी संख्या–12 का 1/2 हिस्सा कानूनी बनता है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 हिस्सा कानूनी है। अप्रार्थी 12 नशे का आदि है। अप्रार्थी संख्या 1 के कहने व सुनने में है। अप्रार्थी संख्या 12 अपने हिस्सा का रकबा बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित रकबा किसी अन्यक को बेचान हो गया तो प्रार्थी का ना पुरा होने वाला नुकसान संभव है। जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में नही होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। जिसमें पोते का हक जीवनकाल में प्राप्त नही होता है। प्रार्थी दादा के जीवनकाल में अपना हक व हिस्सा घोषित नही करवा सकता। दादा की मृत्यु के पश्चात् पोते का हिस्सा कायम होता है। अभी तक प्रार्थी के पिता भी जीवित है। अपने पिता व दादा के जिन्दा होने पर प्रार्थी घोषणात्मक वाद नही ला सकता है। प्रार्थी द्वारा पड़दादा की भूमि होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से साबित ना होने से निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा करने का प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने जैर प्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या–1 को उनके पिता रूपाराम से विरास्तन प्राप्त होना अंकित किया है। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित रकबा अप्रार्थी संख्या–1 को उनके पिता से प्राप्त हुआ हो। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। पैतृक सम्पति साबित नही किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर दिनांक 21.03.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)